22

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 4239-दो/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-8-2013 - पारित व्दारा - अपर तहसीलदार वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर जिला सतना - प्रकरण क्रमांक 9 अ-5/2012-13

कृष्णप्रताप सिंह पुत्र स्व.तेजबहादुर सिंह
ग्राम घोरहरा तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1- बल्दू पुत्र जगतदेव अहिरवार
ग्राम धौरहरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना
2- म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर सतना ---अनावेदकगण

(अनावेदक के अभिभाषक श्री प्रमोद मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 01 -2018 को पारित)

अपर तहसीलदार वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 9 अ-5/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-8-2013 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बलदू पुत्र जगतदेव अहिरवार निवासी ग्राम धौरहरा ने अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर को आवेदन प्रस्तुत मांग की कि मौजा धौरहरा की आराजी नंबर 36/1/घ रकबा 0.935 हैक्टर उसके स्वामित्व का हे जिसका नक्शा तरमीम किया जावे। अति. तहसीलदार वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर ने प्र0क0 9 अ-5/2012-13 में आदेश दिनाक

24-8-2013 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक के नक्शा तरमीम प्रस्ताव अनुसार नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी प्रकरण के तथ्यों पर अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये। आवेदक के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त न करते हुये पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखकर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर एंव अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने तथा अति. तहसीलदार वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 9 अ-5/2012-13 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर तहसीलदार ने बलदू अहिरवार निवासी ग्राम धौरहरा के आवेदन पर उसके स्वामित्व की मौजा धौरहरा की आराजी नंबर 36/1/घ रकबा 0.935 हैक्टर भूमि के नक्शा तरमीम का दिनांक 24-8-13 को आदेश पारित किया है । अपर तहसीलदार वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर के आदेश दिनांक 24-8-2013 के विरुद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 सहपठित 71 के अंतर्गत पारित किया है जो अपील योग्य है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में व्यवस्था दी गई है कि उस दशा में जबकि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी में कलेक्टर की शक्तियां विनिहत हों या नहीं - उप खंड अधिकारी को होगी। स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 9 अ-5/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-8-2013 के विरुद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की जायेगी, जिसके कारण सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत

निगरानी विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है । आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर गुणदोष पर विचार किये बिना निगरानी इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर